प्रेस नोट दि0-16.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

चोरी की 01 मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट) व अवैध तमन्चा/ कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया-
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना फतनपुर पुलिस द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जनता इण्टर कालेज जगनीपुर बाग वाली सड़क से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर उ0नि0 श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभांशू कुमार राय मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, हे0का0 राजेश यादव, कां0 विवेक यादव, का0 ध्रुवेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त 01. सचिन सिंह उर्फ चरसी पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बाल्हामऊ थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष को चोरी की 01 सुपर स्पेलेण्डर मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट) व 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जगनीपुर बाग वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया।

चोरी की 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट के साथ एवं 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 108/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 318(4), 338, 317(2), 336(3), 340(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-
पूछताछ करने पर अभियुक्त सचिन सिंह उर्फ चरसी ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त वाहन मैं जनपद सुल्तानपुर के चाँदा बस अड्डा के पास से लगभग एक साल पहले चुराया था और तब से इसको चला रहा था। उसको बेचने की फिराक में जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। मैं गाड़ी चुरा कर उसका नंबर प्लेट बदलकर सीधे-साधे लोगों को बेचने की फिराक में था। जिससे मिले पैसों से मैं अपना शौक पूरा करता।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- सचिन सिंह उर्फ चरसी पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बाल्हामऊ थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-
01. चोरी की 01 अदद सुपर स्पैलण्डर मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट के साथ।
02. 01 अदद तमन्चा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रभांशू कुमार राय मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, हे0का0 राजेश यादव, कां0 विवेक यादव, का0 ध्रुवेश यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बढ़ईपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्त संजीत सरोज उपरोक्त पर मारपीट, हत्या जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह कां0 गौरव, कां0 अमरजीत सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, 03 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त संजीत पुत्र सतीश चन्द्र सरोज निवासी ग्राम पडिण्त का पुरवा काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बढ़ईपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 03 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 84/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
संजीत पुत्र सतीश चन्द्र सरोज निवासी ग्राम पडिण्त का पुरवा काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

संजीत पुत्र सतीश चन्द्र सरोज निवासी ग्राम पडिण्त का पुरवा काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 113/2023 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 145/2024 धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट व धारा 120बी, 147, 148, 149, 286, 302, 341, 427,504 भादविथाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 277/23 धारा 323, 341, 504, 506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 330/24 धारा 323, 308 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 84/25 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 03 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह कां0 गौरव, कां0 अमरजीत सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना लालगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत वर्मा नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-
आरपी द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण में थाना लालगंज में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 65(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/ 4(2) पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 02 नामजद अभियुक्त का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर द्वारा थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव के नेतृत्व में निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह कां० राहुल यादव, का0 गणेश यादव द्वारा दिनांक 16.05.2025 को देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 65(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/ 4(2) पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त निखिल सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम मेढावां थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत वर्मा नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- निखिल सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम मेढावां थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह कां० राहुल यादव, का0 गणेश यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस बरामद
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बघवाइत नहर की झील की पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त मुस्तफा उपरोक्त थाना महेशगंज का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जिस पर पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, लूट जैसे जघन्य अपराध के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज उ0नि0 श्री मुकेश सिंह के नेत्तृत्व में दिनांक 15.05.2025 को थाना महेशगंज के उ0नि0 शिवपाल सिंह मय हमराह उ0नि0 गोबिन्द दुबे व कां0 अश्वनी

खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मु्ुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत बघवाइत नहर की झील की पुलिया के पास से अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मो0 अनीश निवासी बेलाही थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मो0 अनीश के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया । उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मुस्तफा पुत्र मो0 अनीश निवासी बेलाही थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद बरामद।

मुस्तफा पुत्र मो0 अनीश निवासी बेलाही थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 261/19 धारा 302,34, 120 बी भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 315/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 91/19 धारा 392, 411 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 76/22 धारा 307 भादवि थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 72/22 धारा 397, 504, 506, 120बी भादवि थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 54/21 धारा 7/27 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 96/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 शिवपाल सिंह मय हमराह उ0नि0 गोबिन्द दुबे व कां0 अश्वनी खरवार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी
गाय चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त थाना बाघराय पुलिस की गिरफ्त में-
अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 गाय व घटना में प्रयुक्त पिकअप डाला बरामद
थाना बाघराय पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के लोसनापुर ग्राउंड के पास से चोरी की 02 गाय के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाक 15-05-2025 की शाम को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की गाय को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोसनापुर से चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 83/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता द्वारा थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र नाथ तिवारी, का0 विजय सिंह, का0 शशांक राय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर थाना बाघराय के मु0अ0सं0 -83/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. मंजीत मोर्या पुत्र फूलचंद मौर्या निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज 2. उमाशंकर पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडेय निवासी ग्राम जालीमगंज बरौलिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को पिकअप डाला में चोरी की 02 गाय के साथ थानाक्षेत्र के लोसनापुर ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों लोग अपने गुजारे के लिये छोटी-मोटी चोरी कर लेते है। हम दोनों लोग कल दिनांक 15.05.2025 को शाम ग्राम लोसनापुर में खेत में घास खा रही 02 गाय को चुराकर इन्हें बेचने के लिए लेकर निकले थे। किसी का हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों ने हमलोगों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मंजीत मोर्या पुत्र फूलचंद मौर्या निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज।
2. उमाशंकर पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडेय निवासी ग्राम जालीमगंज बरौलिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त उमाशंकर पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडेय निवासी ग्राम जालीमगंज बरौलिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-345/2020 धारा-147, 148, 149, 323, 324, 325, 354, 427, 429, 452, 504, 506 भादवि0 व 3(1)घ, 3(1)द, 3(2)(va) एससी/ एसटी एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-497/2020 धारा- 147, 148, 427, 504, 506 भादवि0 व 3(1)घ, 3(1)द, 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/ एसटी एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 -83/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
चोरी की 02 गाय व घटना में प्रयुक्त पिकअप डाला बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र नाथ तिवारी, का0 विजय सिंह, का0 शशांक राय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत निजी नर्सिंग होम में घटित घटना में पुलिस की निष्पक्ष जाँच प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना व पुलिस टीम पर पत्थर बाजी कर उत्पात मचाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कछरा के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियोग उपरोक्त से संबंधित 10 अभियुक्त/ अभियुक्ता को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूर्व में परिजनों को भ्रमित करके जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया था पत्थर बाजी की घटना को अन्जाम-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, इलेक्टॉनिक साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए घटना का अति शीघ्र अनावरण कर साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करके 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी द्वारा थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जून सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह उ0नि0 राकेश चौरसिया उ0नि0 अमित कुमार सिंह म0उ0नि0 दीपाली व हे0का0 अमरनाथ यादव का0 देवेन्द्र सिंह का0 सलोने व म0का0 दिव्या म0का0 सपना द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 82/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/121(1)/131/132/125/3(5)/115(2) भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित वाँछित अभियुक्त मो0 सुफियान पुत्र स्व0 जफरूल हसन निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत कछरा के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 सुफियान पुत्र स्व0 जफरूल हसन निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह उ0नि0 राकेश चौरसिया उ0नि0 अमित कुमार सिंह म0उ0नि0 दीपाली व हे0का0 अमरनाथ यादव का0 देवेन्द्र सिंह का0 सलोने व म0का0 दिव्या म0का0 सपना थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.05.2025 जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक कृत्यों के आधार पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कराया गया कुल 02 शस्त्रों का निरस्तीकरण

एसपी प्रतापगढ़ की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी की कठोर कार्यवाही

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व एएसपी (पूर्वी/पश्चिमी) के पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों पर लगातार कस रही नकेल

प्रतापगढ़।
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत अभियोग की समीक्षा कर उनके पास मौजूद लाइसेंसी शस्त्र का निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया गया तथा ऐसे व्यक्तियों के पास मौजूद लाइसेंसी शस्त्र का निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार श्रीमान् जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए कुल 02 शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई।

नाम पता शस्त्र धारक –
1- राजबहादुर यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी छतौना थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़। (डी0बी0बी0एल0 गन 12 बोर)
2- देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र दीनानाथ पाण्डेय निवासी गधियावां थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़। (एन0पी0 बोर रिवाल्वर/पिस्टल)

बयान - आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों/आरोपियों को चिन्हित कर उनके लाइसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस आप सभी शस्त्र धारकों से अनुरोध करती है कि लाइसेंसी शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। लाइसेंसी शस्त्र का दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको कड़ी वैधानिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।